प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर – छत्तीसगढ़</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 1681/1999</u>

याचिकाकर्ता : शिव कुमार सोनी

–विरुद्ध–

उत्तरवादीगण : चेयरमैन–कम–प्रबंध निदेशक,
साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स
लिमिटेड एवं अन्य

आदेश हेतु 27 अप्रैल, 2006 को सूचीबद्ध किया जाए।

सही
सतीश के. अग्निहोत्री,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय, बिलासपुर– छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 1681/1999

याचिकाकर्ता : शिव कुमार सोनी

–विरुद्ध–

उत्तरवादीगण : चेयरमैन–कम–प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति **सतीश के. अग्निहोत्री**

आदेश

[27 अप्रैल, 2006]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निम्नलिखित आदेश न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया

---

1. याचिकाकर्ता ने, निर्विवाद रूप से, दिनांक 07.02.1986 से 07.02.1988 की अवधि के मध्य साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, माणिकपुर कोलियरी में अपना ई.टी.आई. प्रशिक्षण पूर्ण किया था। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र के आधार पर जनरल मज़दूर श्रेणी–I के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता का स्वीकृत कथन यह है कि वह दिनांक 03.12.1997 को आयोजित लिखित परीक्षा तथा दिनांक 06.12.1997 को आयोजित साक्षात्कार में प्रतिभागी था, जिसके पश्चात् याचिकाकर्ता का चयन सूची में क्रमांक 99 पर नाम अंकित हुआ। उक्त चयन सूची से कुल 42 अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकाकर्ता को पुनः दिनांक 10.09.1998

को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया, किंतु आयुसीमा पार (आयु प्रतिबंधित) होने के आधार पर याचिकाकर्ता के प्रकरण पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया गया।

2. श्रीमती स्मिता घई, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत हुई वरिष्ठ अधिवक्ता ने ये तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) का सदस्य होने के नाते आयु में छूट का पात्र है, तथा यह भी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम शिक्षित बेरोज़गार संघ एवं अन्य*** {(1995) 2 SCC 1} के निर्णय एवं आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी याचिकाकर्ता को यह छूट प्रदान की जानी चाहिए

3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस आशय से प्रस्तुत की है कि माननीय न्यायालय *परमादेश* या कोई अन्य उपयुक्त निर्देश जारी कर उत्तरवादियों को निर्देशित करें कि याचिकाकर्ता को जनरल मज़दूर श्रेणी–1 के पद पर नियुक्त किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, श्री पी. एस. नायर, वरिष्ठ अधिवक्ता, और श्री विनोद देशमुख, उत्तरवादियों के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार के समय *अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.)* का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था, न कि पूर्व में। तथापि, याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय उसे वे सभी अनुतोष दिये गये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम शिक्षित बेरोज़गार संघ एवं अन्य* {(1995) 2 SCC 1} में प्रदान की गई थीं। याचिकाकर्ता को आयु–सीमा पार माना गया। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम*

सदाशिव बेहेरा एवं अन्य {(2005) 2 SCC 396} में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि:

"7. ये प्रावधान दर्शाते हैं कि प्रशिक्षु वह व्यक्ति होता है जो एक विधिवत पंजीकृत प्रशिक्षण अनुबंध के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा होता है, जिसे 'प्रशिक्षण सलाहकार' के समक्ष पंजीकृत किया गया हो, और जिसे प्रशिक्षण प्रदान करने वाला नियोक्ता सेवा में लेने के लिए बाध्य नहीं होता है। विधायिका ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए अधिनियम की धारा 22 और उसकी उपधारा (1) के माध्यम से यह घोषित किया है कि यह नियोक्ता के लिए बाध्यकारी नहीं होगा कि वह ऐसे किसी प्रशिक्षु को, जिसने प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली हो, कोई रोजगार प्रदान करे। उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि प्रशिक्षण अनुबंध में यह शर्त निहित हो कि प्रशिक्षु, प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के पश्चात नियोक्ता की सेवा करेगा, तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण पूर्ण होने पर नियोक्ता उस प्रशिक्षु को उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य होगा, और प्रशिक्षु भी उस पद पर सेवा देने के लिए, अनुबंध में निर्धारित अवधि और वेतन के अनुसार, बाध्य होगा। अतः अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियम यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि यदि नियोक्ता एवं प्रशिक्षु के बीच ऐसा कोई अनुबंध, जिसमें यह शर्त हो कि प्रशिक्षु प्रशिक्षण उपरांत सेवा देगा, पंजीकृत न हो, तो प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के बाद प्रशिक्षु को रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता... ... ... ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैने पक्षकारों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्को को सुना तथा याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य* (उपरोक्त संदर्भित प्रकरण) में निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया है:–

> "7. उपरोक्त प्रावधान इस तथ्य की पर्याप्त रूप से पुष्टि करते हैं कि दिया गया प्रशिक्षण परिणामोन्मुखी होना अपेक्षित है; तथा प्रशिक्षुओं को कर्मचारियों के समकक्ष माना जाता है। तथापि, अधिनियम की धारा 22 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है — और यहीं वह प्रावधान है जिस पर अपीलकर्ता पक्ष द्वारा विशेष रूप से बल दिया गया है — कि यदि अनुबंध में इसके विपरीत कोई शर्त न हो, तो नियोक्ता किसी प्रशिक्षु को, जिसने उसके प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण कर ली हो, रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा। नियमों की अनुसूची–VI में उल्लिखित मॉडल अनुबंध प्रपत्र, धारा 22(1) की भावना को अपने दूसरे पैरा में दोहराता है। निगम द्वारा जो मॉडल अनुबंध प्रस्तुत किया गया है, जिसे निगम और प्रशिक्षुओं के बीच संपादित किया गया था, उसमें भी उपर्युक्त 'गैर–बाध्यता' का स्पष्ट उल्लेख है। "यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत की गई टिप्पणियों से स्पष्ट है कि यदि नियोक्ता एवं प्रशिक्षु के मध्य प्रशिक्षण प्रारंभ करते समय संपादित अनुबंध में इस आशय की कोई शर्त न हो, तो प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण कर लेने के उपरांत भी नियोक्ता उस प्रशिक्षु को रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होता। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य (उपर्युक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देश आज भी प्रभावी हैं, क्योंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्हें न तो किसी संशोधन द्वारा बदला गया है और न ही किसी पश्चातवर्ती निर्णय द्वारा निरस्त किया गया है। साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य (उपर्युक्त) प्रकरण में दिया गया निर्णय, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य के प्रकरण में की गई टिप्पणियों की पुष्टि करता है। अतः यह उत्तरवादियों का यह कथन कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रकरण में दिया गया निर्णय पूर्ववर्ती निर्णय को संशोधित करता है — न्यायसंगत नहीं है। इसलिए, उत्तरवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य (उपर्युक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार करें:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) अन्य सभी योग्यताओं के समान होने की स्थिति में, प्रशिक्षित प्रशिक्षु को प्रत्यक्ष भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की तुलना में वरीयता (प्राथमिकता) दी जानी चाहिए।

(2) इसके लिए, प्रशिक्षु को अपना नाम किसी भी रोजगार कार्यालय से प्रायोजित करवाना आवश्यक नहीं होगा। इस विषय में *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एन. हरगोपाल* के इस न्यायालय के निर्णय द्वारा यह अनुमत है।

(3) यदि प्रशिक्षु के मामले में आयु–सीमा बाधा उत्पन्न करती है, तो संबंधित सेवा नियमों में इस विषय में यदि कोई प्रावधान हो, तो उसके अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। यदि सेवा नियम इस संबंध में मौन

हों, तो प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त की गई अवधि के समतुल्य आयु में छूट दी जाएगी।

(4) संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को प्रत्येक वर्षवार प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची रखनी होगी। पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को बाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले की तुलना में वरिष्ठ माना जाएगा। प्रशिक्षित व्यक्तियों के बीच वरीयता वरिष्ठता के अनुसार दी जाएगी।

7. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह याचिका आंशिक रूप से उक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही
सतीश के. अग्निहोत्री,
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Juhi Anguriya